International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 5.143, Volume 02, No. 02, April - June, 2020, pp.201-204

विदेश व्यापार (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1992

FOREIGN TRADE (DEVELOPMENT & REGULATION) ACT, 1992

डॉ. मुहम्मद जावेद*

प्रस्तावना

पहली बार विदेश व्यापार का नियमन द्वितीय विश्व युद्ध काल में हुआ था। प्रथम आयात निर्यात नियन्त्रण अधिनियम 1947 पारित हुआ। वर्तमान में इस अधिनियम के स्थान पर एक नया अधिनियम विदेश व्यापार (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1992 पारित किया गया। यह अधिनियम 19 जून 1992 से पूरे देश में लागू हो गया है। इस अधिनियम में कुल 20 धाराएँ हैं।

vf/kfu;e dk mnns';

यह अधिनियम विदेश व्यापार को विकसित करने एवं उसके उचित नियमन हेतु बनाया गया है। इसके अन्तर्गत भारत से आयात–निर्यात किए जाने से सम्बन्धित सुविधाओं को विकसित तथा विनियमित करने हेतु प्रावधान किए गए हैं। एक प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि यह अधिनियम विदेश व्यापार के विकास एवं नियमन हेतु एक संविधान की भूमिका निभाता है। इसके द्वारा केन्द्रीय सरकार विदेश व्यापार पर नियन्त्रण रखती है एवं समय–समय पर आयात–निर्यात नीति का परिस्थितियों के अनुसार निर्माण अथवा घोषणा करती रहती है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं –

- विदेश व्यापार का विकास एवं नियमन करना।
- केन्द्र सरकार को विदेश व्यापार के सन्दर्भ में अधिकार प्रदान करना।
- समय–समय पर परिस्थितियों के अनुसार आयात–निर्यात नीति के निर्माण में सहायता करना।
- आयात–निर्यात नीति से सम्बन्धित सुविधाओं को विकसित करना एवं उनका नियमन करना।

bl vf/kfu;e dk egRo

किसी भी देश के विकास में निर्यात की अहम भूमिका रहती है। आर्थिक उदारीकरण एवं विश्व व्यापार संगठन के इस युग में निर्यात की प्रमुखता और अधिक बढ़ जाती है। निर्यात से देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में देश के व्यापार को बढ़ावा मिलता है। आर्थिक उदारीकरण के इस युग में हमारे देश के निर्यात में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। आगे आने वाले समय में सम्भावना है कि हमारे देश के उद्योग एवं व्यापार को निर्यात की दृष्टि से विकसित करना आवश्यक है, वरना विदेशी बाजारों में देश के उत्पादनों को बढ़ावा नहीं मिल पाएगा। निर्यात से देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित होती है व स्थानीय बाजार में उद्योग व्यापार को बढ़ावा मिलता है, जिससे अधिक रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। ऐसा वातावरण पैदा करने में विदेश व्यापार (विकास व नियमन) अधिनियम 1992 महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अधिनियम विदेश व्यापार में निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु एक 'fon'k 0;kikj egkfun'kky;* नई दिल्ली में स्थापित किया है, जो वाणिज्य मन्त्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका एक अध्यक्ष होता है, जिसे 'विदेश व्यापार महानिदेशक' कहते हैं। यह संगठन विदेश व्यापार विशेषकर निर्यात संवर्धन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नीति बनाता है तथा उसका क्रियान्वयन भी करता है। यह अधिनियम आयात–निर्यात प्रक्रिया सम्बन्धित सभी नियमों का उल्लेख करके आयात–निर्यात में सरलता व सुविधा प्रदान करता है। ऐसा करने के कारण व्यक्ति (उद्यमी), फर्म व कम्पनियाँ अधिक से अधिक विदेश व्यापार से जुड़ने लगी हैं। इसी के सहयोग से विश्व

[6] एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, शिब्ली नेशनल कालेज, आज़मगढ़, उ.प्र.।

व्यापार में भारत की 65 प्रतिशत हिस्सेदारी को बढ़ाकर एक प्रतिशत तक करने का मार्ग प्रशस्त नजर आने लगा है। इस अधिनियम की ही देन है कि जो विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अनुरूप देश के विदेश व्यापार का संचालन करने में हमारी सहायता करता है। इस प्रकार यह अधिनियम देश के विदेश व्यापार के संवारने व संचालन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि देश के विदेश व्यापार के प्रोत्साहन में इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण स्थान है।

vf/kfu;e d ie[k iko/kku

इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं :–

- इस अधिनियम की धारा 3 में केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने सम्बन्धी अधिकारों का उल्लेख करती है।
- इस अधिनियम की धारा 2 शब्दों को परिभाषित करने का प्रावधान करती हैं।
- इस अधिनियम की धारा 4 के सम्बन्ध में प्रावधान करती है।
- इस अधिनियम की धारा 5 के निस्तीकरण के सम्बन्ध में प्रावधान करती है।
- इस अधिनियम की धारा 6(1) लाइसेंस के लिए आवेदन–पत्र के सम्बन्ध में प्रावधान करती है।
- इस अधिनियम की धारा 6(2) आवेदन शुल्क के सम्बन्ध में उल्लेख करती है।
- इस अधिनियम की धारा 6(3) लाइसेंस देने के सम्बन्ध में प्रावधान करती है।
- इस अधिनियम की धारा 7 सर्च एवं सीजर सम्बन्धी शक्तियों एवं अधिकारों का उल्लेख करती है।
- इस अधिनियम की धारा 8 दण्ड सम्बन्धी प्रावधानों का वर्णन करती है।
- इस अधिनियम की धारा 11 सामान स्वामित्व के अवसर सम्बन्धी प्रावधानों का वर्णन करती है।
- इस अधिनियम की धारा 15 अस्वीकृति के खिलाफ अपीली अधिकार सम्बन्धी प्रावधानों का वर्णन करती है।

vk;kr&fu;kr 0;olk; fu;e ,o ifØ;k,

भारत में आयात एवं निर्यात हेतु विदेश व्यापार (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1992 ने कुछ महत्वपूर्ण नियमों व प्रक्रियाओं का प्रावधान अथवा उल्लेख किया है। ये निम्न हैं –

- egkfun'kd fon'k 0;kikj **(Director General of Foreign Trade) (DGFT)** egkfun'kd dh fu;fDr – इस अधिनियम के अन्तर्गत विदेश व्यापार महानिदेशालय, नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय वाणिज्य मन्त्रालय के अधीन कार्य करता है। केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी व्यक्ति को महानिदेशक विदेश व्यापार के रूप में नियुक्त कर सकती है। सरकार महानिदेशक विदेश व्यापार की सहायता के लिये आवश्यकतानुसार अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों की भी नियुक्ति कर सकती है। इस समय देश में डी0जी0एफ0टी0 (DGFT) के 33 क्षेत्रीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं तथा सभी पूर्ण रूप से कम्प्यूट्रीकृत हैं। सरकार डी0जी0एफ0टी0 को एक व्यवसाय प्रेरित, पारदर्शी, कारपोरेट केन्द्रित संगठन के रूप में विकसित करना चाहती है।

egkfun'kd d dk;

विदेश व्यापार महानिदेशक के मुख्य कार्य निम्न हैं –

- महानिदेशक आयात निर्यात नीति बनाने में सलाह देता है तथा नीति का अनुपालन कराने का दायित्व भी पूरा करता है।
- केन्द्रीय सरकार सरकारी गजट के आदेश प्रकाशित कर अन्य अधिकार या कार्य करना जो अपने कार्यो के उचित निर्वाह के लिए आवश्यक समझे अथवा वे कार्य करना जो इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये आवश्यक है।
- निर्यातकों को डिजिटल हस्तान्तरित आवेदन–पत्रों को फाइल करना।
- विदेश व्यापार के विकास एवं नियमन से सम्बन्धित कार्य करना।
- विदेश व्यापार की प्रक्रिया का सरलीकरण करना।

- विदेश व्यापार सम्बन्धित सुविधाओं को विकसित करने का कार्य करना।
- आयातकर्ता–निर्यातकर्ता से संकेतांक अथवा कोड नं0 (EIC) प्रदान करने का कार्य करना।
- विदेश व्यापार हेतु लाइसेंस प्रदान करने का कार्य करना।
- लाइसेंस आदि को निरस्त करने का कार्य करना।
- अन्य।

- vk;krdrkZ ,oa fu;kZr djrk dkM u0 **(Importer-Exporter Code (IEC) Number)** – इस अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत आयातकर्ता एवं निर्यातकर्ता कोड नं0 देने का प्रावधान है। यह कोड नं0 अथवा संकेतांक महानिदेशक विदेश व्यापार अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति या संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है।

भारत से किसी वस्तुओं का निर्यात करने या भारत में किसी वस्तु का आयात करने के लिए कुछ नियम एवं प्रक्रियाएँ निर्धारित हैं। आयात–निर्यात के क्षेत्र में व्यवसाय करने के इच्छुक उद्यमियों को अपना कारोबार शुरू करने के पहले उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। बिना पंजीकरण के न तो देश से किसी वस्तु का निर्यात किया जा सकता है और न ही आयात। कुछ विशेष वस्तुओं या प्रकरणों में इन नियमों से छूट तो मिल सकती है, मगर सामान्यतः इस तरह के पंजीकरण एक आयात–निर्यात इकाई के लिए अत्यन्त आवश्यक होते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र से सम्बन्धित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग अथोरिटी से इम्पोर्टर–एक्सपोर्टर कोड नं0 लिए बिना किसी वस्तु का भारत से निर्यात या आयात नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि भारत से किसी वस्तु का निर्यात–आयात करने के लिए आई0ई0सी0 कोड नं0 अर्थात् इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड नं0 नहीं होगा तो कस्टम विभाग उसका माल देश से बाहर जाने नहीं देगा और न ही किसी अन्य देश का माल उसके पास आने देगा। हालांकि यदि आप नेपाल अविा म्यांमार को इण्डो–म्यांमार सीमा से माल का निर्यात कर सकते हैं, तो आपको आई0ई0सी0 कोड नं0 लेने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आपके द्वारा भेजे जा रहे माल की कीमत 25,000 रु0 से अधिक न हो।

आई0ई0सी0 नं0 प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से पूर्व उद्यमी को अपनी कंपनी/फर्म के नाम से एक बैंक खाता खुलवाना जरूरी है। यह खाता ऐसे वाणिज्यिक बैंक में खोला जाना चाहिए, जो विदेशी मुद्राओं के लेन–देन के लिए अधिकृत हैं। आई0ई0सी0 नं0 प्राप्त करने के लिए जमा किए जाने वाले आवेदन के साथ निम्नानुसार प्रपत्र संलग्न करने होते हैं –

- शुल्क के रूप में रु0 1,000 की बैंक पावती (दो प्रतियों में)/बैंक ड्राफ्ट।
- आवेदक के बैंकर का निर्धारित प्रारूप में एक प्रमाण–पत्र।
- आवेदक के दो पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ जो उसके बैंकर द्वारा प्रमाणित हो।
- इनकम टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा आवंटित परमानेंट एकाउन्ट नंबर की आवेदक के द्वारा प्रमाणित प्रति। यदि पैन नं0 आवंटित नहीं किया गया है, तो इसकी प्राप्ति हेतु आवेदक के द्वारा इनकम टैक्स अथॉरिटीज को दिए गए आवेदन की प्रति।
- यदि आवेदन में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के द्वारा दस्तखत किए गए हैं, तो इस सम्बन्ध में वैधानिक अधिकारी द्वारा जारी किए गए पत्र की प्रति।
- यदि फर्म से किसी अप्रवासी का हित जुड़ा है और अप्रवासी के निवेश के साथ रीपेट्रिएशन लाभ भी जुड़े हैं, तो उसका पूर्ण विवरण एवं इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से प्राप्त अनुमोदन की एक प्रति। यदि अप्रवासी का निवेश बिना किसी रीपेट्रिएशन लाभ के किया गया है, तो इस सम्बन्ध में फर्म के लेटर हेड मं एक घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि क्या यह कार्य रिजर्व बैंक की सामान्य/विशेष अनुमति के साथ किया गया है। विशेष अनुमोदन के प्रकरणों में उसकी एक प्रत भी जमा करनी होगी।

vk;kr&fu;kr ls lEcfU/kr vko';d iathdj.k

आयात–निर्यात से सम्बन्धित पंजीकरण को निम्नानुसार बाँटा जा सकता है –

- क्षेत्रीय लाइसेंसिंग अथॉरिटी के साथ पंजीकरण (आई0ई0सी0 नं0 प्राप्त करना)।
- कस्टम्स बिल (बिजनेस आइडेन्टिफिकेशन नंबर)।
- निर्यात संवर्द्धन परिषदों में पंजीकरण (सिर्फ निर्यातकों के लिए)।
- सेल टैक्स पंजीकरण।
- इनकम टैक्स पंजीकरण (पैन नं0)।
- एक्साइज पंजीकरण।
- रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया में पंजीकरण।

vkbZ0bZ0lh0 vkonu rS;kj djus dh fy, fn'kk funsZ'k

- आई0ई0सी0 नं0 के आवंटन के लिये पंजीकृत कार्यालय या मुख्यालय के द्वारा आवेदन किया जाएगा। यद्यपि एक आवेदक को केवल एक आई0ई0सी0 नं0 आवंटित किया जाएगा, लेकिन यह उसकी सभी शाखाओं/विभागों/इकाइयों/ फैक्ट्रीज के लिए मान्य होगा।
- आई0ई0सी0 नं0 प्राप्त करने के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जमा करना होगा।
- आवेदन शुल्क सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की अधिकृत शाखा में एकाउन्ट हेड 1453 विदेश व्यापार एवं निर्यात संवर्द्धन–माइनर हैड 102 में जमा किया जाना चाहिए। यह शुल्क सम्बन्धित लाइसेंसिंग अथॉरिटी के नाम देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भी जमा किया जा सकता है।
- सम्बन्धित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग अथॉरिटी प्राथमिकता के आधार पर आवेदक को आई0ई0सी0 नं0 प्रदान करेंगे। सामान्यतः यह नंबर आवेदक को आवेदन जमा करने के तीन दिनों के अंदर प्रदान कर दिया जाता है, बशर्ते आवेदन पूर्ण रूप से भरा हो एवं उसके साथ आवश्यक प्रपत्र संलग्न हों।
- आवंटित आई0ई0सी0 नं0 आवेदक की सभी शाखाओं/विभागों/इकाइयों/ फैक्ट्रीज के लिये मान्य होता है।
- आवेदन–पत्र, निर्धारित प्रारूप में दो प्रतियों में शुल्क भुगतान के साक्ष्यों बैंक पावती/डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ जमा किया जाना चाहिये।
- आवेदन–पत्र साफ व स्वच्छ तरीके से टंकित/हस्तलिखित तथा कैपिटल लेटर्स में भरा जाना चाहिए।
- आवेदन–पत्र की प्रत्येक प्रति अधिकृत व्यक्ति के द्वारा स्याही से दस्तखत की हुई होनी चाहिए।
- आवेदन–पत्र में जहाँ आवश्यक हो पूर्व में दर्शाए अनुसार सहायक दस्तावेज संलग्न करने चाहिए।
- आवेदन–पत्र में आवश्यक सभी जानकारियाँ आवेदक के द्वारा भरी जानी चाहिए और जहाँ स्थान खाली हो वहाँ NA लिखना चाहिए।

lUnHkZ xzUFk lwph

~ भारत (2019), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

~ आर्थिक समीक्षा (2018–19), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

~ Dikshit, P.; Dynamies of Indian Export Trade Deep & Deep Publications Pvt. Ltd., New Delhi, 2002.

~ H. Lajpathi Rai, Indo-Soviet Trade, Relations, Mittal Publications, New Delhi, 1991.

~ J.K. Singh, International Trade and Business, Regal Publications, New Delhi, 2002.

~ Johm MeLaren, International Trade, Atlantic Publishars & Distributors (P) Ltd., New Delhi, 2013.

~ R.C. Bhatia, International Business with Asian Cauntries, Deep & Deep Publications Pvt. Ltd., New Delhi, 2001.

~ Vileha Mathur, Foreign Trade, Export Import Policy and Regional Trade Arreements of India, New Century Publications, New Delhi, 2012.

❖◆❖